

**नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018**

आवेदक पक्ष के निवेदन अनुसार न्यायहित में आज प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष सुनवाई में लिया गया।

आवेदक पक्ष द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक पक्ष अतलब।

सुना गया। उपस्थित आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उभयपक्ष के मध्य आपस में स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है तथा वे साथ-साथ रहने लगे हैं एवं उनके बीच वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद या झगडा शेष नहीं रहा है और उक्त कारण से आवेदक पक्ष प्रकरण को स्वेच्छयापूर्वक आगे नहीं चालाना चाहता है। अतः उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है एवं आदेश पत्रिका के हांसिये में उनके द्वारा उक्त संबंध में टीप अंकित की गई।

अतः प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार न्यायहित में आवेदक पक्ष के स्वेच्छिक निवेदन अनुसार उभयपक्ष में राजीनामा हो जाने से यह प्रकरण निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाये।

प्रकरण में पूर्व से नियत आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सुनील कांकर एड.  
(सदस्य)

धर्मेन्द्र पाण्डेय एड.  
(सदस्य)

(सतीश कुमार गुप्ता)  
पीठासीन अधिकारी ख०पी०क०21  
एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड